यह निरीक्षण प्रतिवेदन **निदेशक, आई.सी.डी.एस., देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय निदेशक, आई.सी.डी.एस., देहरादून के माह 05/2016 से 04/2017 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो **श्री** शूरवीर सिंह राणा, **श्री** रविशंकर, **सहायक लेखापरीक्षा** अधिकारियों **द्वारा दिनांक** 26.04.2017 **से** 06.05.2017 **तक** श्री एस.के. जौहरी, लेखापरीक्षा अधिकारी के **पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।**

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रविन्द्र कुमार, श्री संदीप गर्ग, श्री अश्विनी पाण्डेय, **सहायक लेखापरीक्षा** अधिकारियों **द्वारा** श्री प्रेमचन्द, लेखापरीक्षा अधिकारी के **पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह** 07/2014 **से** 04/2016 **तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।**

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2016 **से** 04/2017 **तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।**

2. (I) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत ''आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 06 विशिष्टि सेवायें समन्वित रूप से लाभार्थियों को प्रदान की जाती है–(1) पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा (2) स्वास्थ्य परीक्षण (3) संदर्भ सेवायें (4) प्रतिरक्षण/टीकाकरण (5) अनुपूरक पोषाहार (6) प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा।

समस्त उत्तराखण्ड राज्य।

3. (इकाई द्वारा संचालित योजनाओं सहित क्रियाकलाप तथा भौगोलिक अधिक क्षेत्र बताया जाय)

1) समेकित बाल विकास सेवायें
2) अनुपूरक पोषाहर
3) मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना
4) आई.सी.डी.एस. प्रशिक्षण कार्यक्रम
5) नंदा देवी कन्या योजना

} समस्त उत्तराखण्ड राज्य

6) सबला योजना–उत्तराखण्ड राज्य के 04 जिलों में
7) किशोरी शक्ति योजना–उत्तराखण्ड राज्य के 09 जिलों में।

(II) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रा. अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	शून्य	शून्य	157.45	63.61	3146.58	2508.61	00.00	731.81
2015-16	00.00	00.00	155.60	67.65	2096.68	922.19	-	1262.43
2016-17	00.00	00.00	199.59	60.33	3234.78	3185.56	-	188.48

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय आधिक्य (+)	बचत (-)

(iii) इकाई को बजट आवंटन (स्रोत्र बताया जाए) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय **को सम्मिलित** न **करते** हुए इकाई ग्राहक विभाग से राशि प्राप्त करता है तथा 'अ' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् है –

बजट आंवटन स्रोत – राज्य सरकार, केन्द्र सरकार,

1. सचिव, 2. निदेशक, 3. डी.पी.ओ., 4. सी.डी.पी.ओ.

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में..... एवं लेखापरीक्षा विधि लेन–देन की लेखापरीक्षा **को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन** निदेशक आई.सी.डी.एस., देहरादून **की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 02/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।** समेकित बाल विकास सेवायें, अनुपूरक पोषाहार, सबला योजना का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन लागत एवं व्यय राशि तथा कार्य की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखकर चयन किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 **के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम,** 1971 **(डी पी सी एक्ट,** 1971**) की धारा** 18 **लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम,** 2007 **तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।**

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 1 : अधिक बजट प्राप्त होने की प्रत्याशा में रू0 6541.36 लाख के दायित्वों का सृजन।

सामान्यतः अधिक बजट प्राप्त होने की प्रत्याशा में उपलब्ध कराई गयी धनराशि से अधिक धनराशि व्यय कर दायित्वों का सृजन नहीं किया जाना चाहिए। निदेशक, समेकित बाल विकास योजना उत्तराखण्ड, देहरादून के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि केन्द्र सहायतित ICDS (Gen) योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष राज्य में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की गतिविधियों के संचालन हेतु धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। इससे संबंधित विगत तीन वर्षों (2014–15 से 2016–17) के बजट की स्थिति का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि वर्ष 2013–14 में इकाई द्वारा केन्द्र से इस मद में अधिक बजट प्राप्त होने की प्रत्याशा में रू0 2332.92 लाख अधिक व्यय कर दायित्वों का सृजन किया गया। उल्लेखनीय है कि इकाई द्वारा तत्समय केन्द्र से इस धनराशि की मांग न कर वर्ष 2014–15 में केन्द्र द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि में से इस राशि को बिना किसी स्वीकृति के समायोजित कर शेष धनराशि को बजट मान लिया गया एवं इस क्रम को जारी रखते हुये पुनः वर्ष 2014–15 में रू0 2439.19 लाख की धनराशि वर्ष 2015–16 में रू0 1659.62 लाख की धनराशि एवं वर्ष 2016–17 में रू0 109.63 लाख की धनराशि का व्ययाधिक्य किया गया फलतः वर्ष 2016–17 की समाप्ति पर इकाई द्वारा कुल रू0 6541.36 लाख के दायित्वों का सृजन किया जा चुका था। जबकि केन्द्र सरकार द्वारा इस धनराशि की प्रतिपूर्ति के संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किये गये थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इस संबंध में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि GOI को व्ययाधिक्य की स्थिति SOE/UC के माध्यम से त्रैमासिक/वार्षिक रूप से प्रेषित की जाती है। किन्तु GOI द्वारा इस संबंध में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुये है। इकाई के उत्तर से स्पष्ट है कि केन्द्र सरकार द्वारा इस व्ययाधिक्य की प्रतिपूर्ति करने का कोई इरादा नहीं है एवं विभाग केन्द्र से इस धनराशि को प्राप्त करने में विफल रहा है। इस प्रकार इकाई द्वारा विगत वर्षों में रू0 6541.36 लाख का व्ययाधिक्य कर दायित्वों के सृजन किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 2 : विभाग की उदासीनता के कारण रू0 541.03 लाख की धनराशि का व्यपगत होने के कारण योजना के उद्देश्यों की पूर्ति न होना।

सबला योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली तथा 14 से 18 वर्ष की समस्त किशोरियों को अनुपूरक पोषाहार दिये जाने की व्यवस्था तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर एक सखी व दो सहेलियों का चयन कर किशोरियों के समूह को प्रशिक्षण आई.एफ.ए. वितरण, किशोरी किट द्वारा ज्ञानार्जन एवं किशोरी गतिविधियां संचालित किए जाने की व्यवस्था की गई है।

निदेशालय, आई.सी.डी.एस. देहरादून के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु पोषाहार घट में भारत सरकार के पत्र दिनांकित 11.01.2011, 09.06.2011, 20.09.2011 एवं 20.09.2011 द्वारा क्रमशः रू0 222.49 लाख, रू0 222.49 लाख, रू0 115.74 लाख एवं रू0 106.75 लाख (कुल धनराशि रू0 667.47 लाख) की धनराशि का आवंटन किया गया था जिसके सापेक्ष विभाग वर्ष 2010–11 तक मात्र 126.44 लाख ही व्यय कर पाया था तथा रू 541.03 लाख की धनराशि राज्य के पास शेष पड़ी थी जिसे भारत सरकार के पत्र दिनांक 09.07.2012 द्वारा वर्ष 2012–13 में उपयोग करने हेतु पुनर्वैध किया गया था परन्तु विभाग की उदासीनता के कारण उक्त धनराशि माह फरवरी 2017 तक भी अवशेष पड़ी थी जिसे विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 20.02.2017 द्वारा वर्ष 2017–18 में व्यय करने हेतु भारत सरकार से पुनः पुर्नवैध करने की अनुमति मांग थी जिस पर लेखापरीक्षा तिथि तक भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं की थी। परिणामस्वरूप योजना के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि धनराशि के अभाव में विगत छः वर्षों से किशोरियों को अनुपूरक पोषाहार वितरित नहीं किया जा रहा है तथा धनराशि अनुपयोगित पड़ी रहने के कारण उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है।

अतः विभगीय उदासीनता के कारण रू0 541.03 लाख की धनराशि व्यपगत होने के कारण योजना के उद्देश्यों की पूर्ति न होने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 3 : निर्माण कार्यों के नियम समय में पूर्ण न होने के परिणामस्वरूप रू0 11.46 लाख का परिहार्य व्यय।

शासनादेश संख्या 987/XVII (4)/2014/05/(60) 13 दिनांक 13 मई 2014 एवं शासनादेश संख्या 1475/ XVII (4)/2014/98/10 दिनांक 28.07.2014 के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 1450 नवीन आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण तथा 113 पुराने आंगनबाड़ी भवनों उच्चीकरण हेतु कुल रू0 6638 लाख (1659.00 लाख राज्यांश तथा 4978.00 लाख केन्द्रांश) जारी किये गये (2/2015), जिसमें अनुदान संख्या 15 में 1065 आंगनबाड़ी भवन, रू0 4.5 लाख प्रति भवन तथा 113 भवनों का उच्चीकरण 1 लाख रू0 प्रतिभवन (75 प्रतिशत/केन्द्रांश तथा 25 प्रतिशत राज्यांश) की दर किया जाना था। इसी प्रकार अनुदान संख्या 30 में 290 आंगनबाड़ी भवन तथा अनुदान संख्या 31 में 95 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण किया जाना था।

इकाई के निर्माण सम्बन्धी अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि जनपदों हेतु 1450 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण एवं 113 आंगनबाड़ी केन्द्र के भवनों के उच्चीकरण हेतु 2/2015 में रू0 6638.00 लाख की धनराशि जारी करने के बाद भी लेखापरीक्षा तिथि तक (4/2017) केवल 241 भवन ही बनाये जा सके थे जो 1209 भवन अपूर्ण थे, जिसके कारण आंगनबाड़ी भवनों का संचालन किराये के भवनों में करना पड़ा, परिणामस्वरूप वर्ष 2014–15 से लेखापरीक्षा तिथि (4/2017) तक रू0 11.46 लाख की धनराशि किराये के रूप में व्यय हुई। यदि समय पर आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो गया होता तो उक्त धनराशि को बचाया जा सकता था। वर्तमान में 1209 भवनों का निर्माण अपूर्ण था, जिससे किराये की धनराशि में और वृद्धि होने की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया कि शतप्रतिशत कार्य कराये जाने हेतु निदेशालय से लगातार निर्देश जारी किये गये। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पर्याप्त अनुश्रवण के अभाव में उक्त निर्माण कार्य लेखापरीक्षा तिथि तक अधूरे रहे हैं, जिसके कारण किराये के भवनों में आंगनबाड़ी भवनों के संचालन हेतु किराये के रूप में रू0 11.46 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 4 : ब्याज की धनराशि रू0 57.84 लाख का शासकीय खाते में जमा न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के वित विभाग के शासनादेश संख्या : UO-18/XXVII (6)–टी.सी.ए. 934–2014, दिनांक 21.04.2017 एवं महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के आदेश संख्या : 610/XVII (4)/2017–2 (8)/2017, दिनांक 26.04.2017 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रशासनिक विभागों द्वारा परियोजनाओं हेतु आंबटित धनराशि बैंक खाते में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तथा ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा न करते हुए प्रयोग में लिया जा रहा है। यह एक वित्तीय अनियमितता है तथा निर्देशित किया है कि जितने भी बैंक खाते हैं उनमें ब्याज की पुष्टि करते हुए तत्काल राज्य सरकार के सुंसगत लेखाशीर्ष में जमा कराया जाय।

निदेशालय आई.सी.डी.एस. देहरादून के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत संचालित योजनाओं यथा ''उत्तराखण्ड महिला समेकित विकास योजना'' पर रू0 39.25 लाख एवं ''उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री सतत् योजना'' पर रू0 18.59 लाख (कुल रू0 57.84 लाख) का ब्याज विगत तीन वर्षों में अर्जित किया गया था। उक्त शासनादेश के अनुसार इस प्रकार प्राप्त ब्याज की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्ष–''0049 ब्याज प्राप्तियां'' के अंतर्गत शासकीय खाते में जमा किया जाना था परन्तु इकाई द्वारा लेखा परीक्षा तिथि (मई 2017) तक उक्त ब्याज की धनराशि शासकीय खाते में जमा नहीं की गई थी जो उक्त शासनादेश के विपरीत है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने अपने प्रत्युत्तर में बताया कि प्राप्त ब्याज की राशि को शासकीय खाते में जमा करा दिया जायेगा।

इकाई का उत्तर मानय नहीं है क्योंकि प्राप्त ब्याज की धनराशि को शासकीय खाते में जमा किया जाना अपेक्षित था जो इकाई द्वारा नहीं किया गया ।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या	**STAN**
2016-17/35	----------शून्य----------	1, 2, 3, 4, 5, 6 (इकाई द्वारा अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या तैयार नहीं की गयी थी)	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
2016–17/35	(इकाई द्वारा अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या तैयार नहीं की गयी थी)			

भाग-**IV**

इकाई के सर्वेत्तम कार्य

----------शून्य---------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **निदेशक, आई.सी.डी.एस. देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार **व्यक्त करता है।** तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये :

(I) शून्य

(II) शून्य

2. सतत् अनियमितताएं

(I) शून्य

(II) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्रीमती विम्मी सचदेवा रमन	निदेशक
2.		

(V) लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **निदेशक, आई.सी.डी.एस. देहरादून** को इस आशय से प्रेषित किया गया कि वह लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के भीतर उसकी अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.